कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, पर्यावरण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।
पत्रांक 688 / 33–1(1) दिनांक, हल्द्वानी, फरवरी 23 ,2010

05946-234759
05946-235474 (फैक्स)
ccf_env_uta@sify.com
ccfenvuta@rediffmail.com

सेवा में,

(1) प्रभागीय वनाधिकारी,
टौन्स वन प्रभाग।

(2) प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।

(3) प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

(4) प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,
भवाली, नैनीताल।

(5) प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

(6) प्रभागीय वनाधिकारी,
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

(7) प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

विषयः– **चीड़ पिरूल के उपयोग हेतु बायोब्रिकेटस संयंत्र स्थापित करने के सम्बन्ध में MoU के आधार पर कार्य करने बाबत।**

सन्दर्भः– प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड का पत्रांक ख–1323 / 24–1(8) दिनांक 18.02. 2010

महोदय,

उत्तराखण्ड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 53483 वर्ग कि0मी0 में से लगभग 5000 वर्ग कि0मी0 क्षेत्रफल में चीड़ के वन विद्यमान हैं। भारतीय वानिकी अनुसंधान संस्थान के आंकलन के अनुसार इन वन क्षेत्रों में लगभग 1 मिलियन टन सूखी चीड़ पिरूल प्रत्येक वर्ष गिरती हैं जो अत्यन्त ज्वलनशील होती हैं।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वन विभाग ने विभिन्न समचार पत्रों के माध्यम से वर्ष, 2009 एवं 2010 पुनः में चीड़ पिरूल के उपयोग हेतु अभिव्यक्ति की अभिरूचि (Expression of Interest) निकाला गया। विगत वर्ष एवं इस वर्ष के कुल 23 कम्पनी/फर्म/संस्थाओं को Project Power Point Presentaion हेतु बुलाया गया, जिसमें से इस कुल 13 (तेरह) कम्पनी/फर्म/संस्थाओं द्वारा अपना प्रस्तुतीकरण गठित समिति के समक्ष दिनांक 09.02.10 एवं 13.02.10 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुतीकरण के आधार पर बायोब्रिकेट्स बनाने वाली 6 (छः) कम्पनियों को विचार–विमर्श हेतु प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के पत्रांक ख–1323/24–1(8) दिनांक 18 फरवरी, 2010 के अनुपालन में दिनांक 22.02.2010 को गठित समिति के समक्ष बुलाया गया। कम्पनी प्रतिनिधियों एवं समिति के बीच हुए विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त समिति द्वारा निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के साथ कार्य करने की स्वीकृति दी गयी है–

क0 सं0	कम्पनी/संस्था का नाम	कार्य हेतु चयनित क्षेत्र	प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत (रूपये में)
1	2	3	4
1	उत्तरांचल वनोपज सहकारी श्रम संविदा समिति, लिमिटेड (रजि0) डांकखाना–भगवानपुर तहसील रूड़की,जिला– हरिद्वार (उत्तरांचल)	टौन्स वन प्रभाग की पुरौला रेंज तथा अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट की मुगरसन्ती तथा नौगाँव रेंज।	1,25,00,000/– (एक करोड़ पच्चीस लाख)
2	Rural Renewable Urja Solutions Pvt. Ltd. Solutions Pvt. Ltd. 204 Plat # 24, Sect, 10, Dwarka, New Delhi-75 India Ph./Fax-011-25770995	लैन्सडौन वन प्रभाग के लैन्सडौन तथा दुगड्डा राजि का क्षेत्र।	50,00,000/– (पचास लाख)
3	Suyash Udyog Pvt Ltd. Works- 468, Village Kishanpur, Tehsil Kichha, Distt Udhamsingh Nagar, Uttarakhand.	नैनीताल व अल्मोड़ा जनपद के क्षेत्र।	2,00,00,000/– (दो करोड़)
4	Green Energy Corporation, 38, Vijay Colony New Cantt. Road Dehradun-248001 Ph. 0135-2743023 Fax-0135-2658466	मसूरी वन प्रभाग के क्षेत्र	1,05,00,000/– (एक करोड़ पाँच लाख)

शर्तें–

1. इसका वन प्रबन्धन पर कोई कुप्रभाव न हो एवं वन क्षेत्र की जैव विविधता पर इसका कोई प्रतिकूल असर न हो।
2. वनाअग्नि के नियंत्रण में सहायक हो।
3. इससे स्थानीय लोगों को ही सम्मिलित कर उनकी जीविकोपार्जन के पर्याप्त अवसर प्रदान हों।
4. संग्रहण में वन पंचायत, स्वयंसेवी संस्थायें तथा स्वयंसहायता समूह की भागीदारी हो तथा स्थानीय महिलाओं को प्राथमिकता मिले।
5. शासनादेश संख्या 6574/X-3-07-21(29)/2007 दिनांक 07.01.2008 में दी गयी अनुमति में उल्लिखित रायल्टी दर 2 रू0 प्रति कु0 की वसूली सुनिश्चित करें।
6. चीड़ पिरूल के संग्रहण की दर औसतन 1 रू0 प्रति किग्रा0 निर्धारित की जाती है।
7. इस कार्य का उल्लेख विभिन्न कोष्ठियों, कार्यशालाओं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में करते हुए व्यापक प्रचार–प्रसार करवाया जाय।
8. सम्बन्धित फर्म अपनी निकासी की मात्रा पाक्षिक रूप में सम्बन्धित रेंज में जमा करेगी।
9. कम्पनियों के प्रतिनिधियों द्वारा मुख्य रूप से रवन्ना मिलने में देरी की बात समिति के सामने रखी। संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी, अग्रिम जमा रायल्टी के सापेक्ष ही चीड़ पिरूल की मात्रा के रवन्ना संबंधित वन क्षेत्राधिकारी को दे देंगे, जिसमें सभी कालम भरे हुए रहेंगे केवल निकासी की तिथि, समय, गाड़ी का नम्बर, मार्ग में पड़ने वाले निकासी चौकियों का विवरण संबंधित वन क्षेत्राधिकारी द्वारा भरा जायेगा। वन क्षेत्राधिकारी द्वारा रवन्ना तभी दिया जायेगा जब सम्बन्धित कम्पनी/फर्म द्वारा निर्धारित निकासी की मात्रा के सापेक्ष रायल्टी की धनराशि अग्रिम रूप से जमा कर दी जायेगी। रायल्टी की धनराशि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा पहले वन जमा में जमा की जायेगी तथा मासिक रूप से वास्तविक निकासी के आधार पर समायोजित कर राजस्व में जमा की जायेगी।
10. प्रभागीय वनाधिकारी/रेंज अधिकारी द्वारा इन कम्पनियों का स्थानीय संस्थायें जैसे वन पंचायत आदि एवं स्थानीय ग्रामीणों से सम्पर्क स्थापित करने में सहयोग प्रदान किया जाय।
11. कार्य आरम्भ करने से पूर्व संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं सम्बन्धित फर्म की बीच MoU कराया जायेगा।
12. जमानत की धनराशि संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा MoU के आधार पर फर्म के प्रोजेक्ट लागत का 1 (एक) प्रतिशत अथवा 20,000/–(बीस हजार) रूपये जो भी अधिक हो कार्य आरम्भ करने से पूर्व जमा करायी जायेगी।
13. संबंधित प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारियों के साथ विधिक के उपरान्त ही चीड़ पिरूल (वन उपज) को संग्रहण करने की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

14. सम्बन्धित फर्मो ने अपने प्रोजेक्ट में अनुमानित धनराशि दर्शायी है। MoU की शर्त संख्या के अनुसार, **आर्टिकल (Article-IV),** प्रोजेक्ट की लागत के अनुसार समयावधि देनी है। अतः वर्ष 2011 के जून माह तक की समाप्ति के उपरान्त उनकी लागत के अनुसार उन्हें कार्य करने की आगे अनुमति दी जायेगी। इस हेतु कम्पनी/फर्म उन्हें अपनी प्रमाणित बैलेन्स शीट जमा करेगी। जमानत की धनराशि अभी अनुमानित लागत पर ही देनी होगी।

अतः यह कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर शासन द्वारा निर्धारित एम0ओ0यू0 के अनुरूप प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें। *एम0ओ0यू0, प्रमुख वन संरक्षक की पत्र सं0 ख–1323/24–1(8) दिनांक 18.02.2010, शासनादेश संख्या 6574/X-3-07-21(29)/2007 दिनांक 07.01.2008 व उपरोक्त कम्पनियो द्वारा दिया गया लिखित सहमति पत्र की की छाया प्रतियाँ संलग्न की जा रही हैं।*

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(के0 एस0 सामन्त)
मुख्य वन संरक्षक,
पर्यावरण उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

संख्या 688 (1) तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

(1) उत्तरांचल वनोपज सहकारी श्रम संविदा समिति, लिमिटेड (रजि0) गाँव–गी मोहम्मद सईदपुर, डांकखाना–भगवानपुर तहसील रूड़की, जिला– हरिद्वार (उत्तरांचल)

(2) Rural Renewable Urja Solutions Pvt. Ltd. Solutions Pvt. Ltd. 204 Plat # 24, Sect, 10, Dwarka, n. Delhi-75 India Ph./Fax-011-25770995

(3) Suyash Udyog Pvt Ltd. Works- 468, Village Kishanpur, Tehsil Kichha, Distt Udhamsingh Nagar, Uttarakhand

(3) Green Energy Corporation, 38, Vijay Colony New Cantt. Road Dehradun-248001 Ph. 0135-2657573 Fax-0135-2658466

(के0 एस0 सामन्त)
मुख्य वन संरक्षक,
पर्यावरण उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

संख्या 688 (2) तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

(के0 एस0 सामन्त)
मुख्य वन संरक्षक,
पर्यावरण उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

संख्या 688 (3) तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

(1) प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव,/प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत उत्तराखण्ड।
(2) समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
(3) समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
(4) समस्त वन संरक्षक/निदेशक, उत्तराखण्ड।
(5) समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तराखण्ड।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

(के0 एस0 सामन्त)
मुख्य वन संरक्षक,
पर्यावरण उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।